पत्र संख्या–स्था–2–विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/2023–24/ 5850 /राज्य कर।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 28/03/2025

// आदेश //

उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ में **दिनांक 27.03.2025 से 28.03.2025** तक प्रस्तावित ऑफलाइन पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु निम्न सहायक आयुक्त (सचल दल) राज्य कर स्तर के अधिकारियों को नामित किया जाता है:–

S.N.	Emp.ID	Name of officer	Des.	Latest posting	M.N.
1	126959	Rahul Kumar	AC	AC (Mobile Squad) -7,Kanpur	9044123525
2	125791	Ravi Mishra	AC	AC (Mobile Squad) -4,Kanpur	9415605684
3	125691	Reshu Ms.	AC	AC (Mobile Squad) - 8,Agra	8858632299
4	126189	Salony Bhardwaj Smt.	AC	AC (Mobile Squad) Rai Bareilly	9811964488
5	125866	Sanju Rai Ms.	AC	AC (Mobile Squad) Shahjahanpur	8933886809
6	124869	Shikha	AC	AC (Mobile Squad) Ayodhya	9532969069
7	125662	Shivani Ms	AC	AC (Mobile Squad) Unnao	9935690431
8	124689	Shubha Singh Ms.	AC	AC (Mobile Squad) -1,Sonbhadra	9838914133
9	125403	Shyam Vir Singh	AC	AC (Mobile Squad) -5,Lucknow	8954293717
10	124103	Smita Srivastava Ms.	AC	AC (Mobile Squad) -1,Head Quarter Lucknow	8279934673
11	124687	Sugandha Singh-II Ms.	AC	AC (Mobile Squad) -4,Noida	7235002975
12	124688	Suman Patel	AC	AC (Mobile Squad) -2,Ghaziabad	9415588534
13	126153	Supriya Dwivedi Smt.	AC	AC (Mobile Squad)-3,Prayagraj	7300869832
14	126907	Suresh Kumar Pal	AC	AC (Mobile Squad) -6,Noida	9538672785
15	125483	Sweta Ojha Ms.	AC	AC (Mobile Squad) -6,Ghaziabad	9125178176
16	125730	Vandana Singh-IV MS.	AC	AC (Mobile Squad) -3,Noida	9452187769
17	124729	Vandana Verma	AC	AC (Mobile Squad) -12,Ghaziabad	9927166898
18	126195	Vidisha Kasturi Ms.	AC	AC (Mobile Squad) -2,Muzaffarnagar	8527601551
19	125806	Vidisha Shukla Dr.	AC	AC (Mobile Squad) Etawah	9953079332
20	126945	Yateendra Kumar	AC	AC (Mobile Squad) - 1,Chandauli Naubatpur	7830647007

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक **27.03.2025** से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, विभूति खण्ड प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ, के कार्यालय में प्रत्येक दशा में **दिनांक 27.03.2025 की प्रातः 9.30 बजे** उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती/सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगें।

अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार है:–

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी ।
- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें ।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा ।
- अधिकारियों के खान–पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेंगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना/मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाईल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।

- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा ।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं0 4905 दि0 15.03.2018 के प्रस्तर 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

ह0/–
(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(श्याम प्रसाद)
संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।